

फर्द अहकाम

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा



उनवान

ईसरायल

बनाम अशराम

किरम धारा..... वाद/प्रा.पत्र

मु0नं0 295 / 2024

तारीख हाम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
29/7/24	<p>प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला शाहपुरा से संयुक्त शासन सचिव राजस्व(ग्रुप-1) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक/प.9(89) राज-1/2023/तहसील सवाईपुर दिनांक 03.08.2023 से जारी अधिसूचना अनुसार तहसील बनेडा का पुनर्गठन होने से ग्राम पंचायत बबराणा / खेडलिया / महुआखुर्द को उपखण्ड भीलवाडा सम्मिलित किये जाने से इस न्यायालय में स्थानान्तरित की है, प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी कर प्रकरण वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 27/3/24 को पेश हो।</p> <p align="right">  उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा </p>	
27/11/24	<p>पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त चक्राश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 27/3/24 को पेश हो।</p>	
12/12/24	<p>पत्रावली काफ़ी एवं काफ़ी अधिसूचना के प्रावधान पर पर तलब बुी गई। प्रावधान पर से निवेदन दिखाई है कि इस वाद उद्घरण में काफ़ी एवं उतिवादी देना दोनो सगे दादा व पोता हों इगडे महप पारिवारिक सुझावों ता हो गया। मिलने का ही इस वाद उद्घरण दो मोटोस बुले उई बिट्टो के आधार पर मिलतारण इतान चाहते हों काफ़ी के ह्वपं के प्रावधान पर वाद पर दो मोटोस। बिट्टो के आधार पर</p> <p align="right">  उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा </p>	<p><i>Not Press</i> <i>Shreshth Pathich</i></p> <p><i>Id. by me</i> <i>Shreshth Pathich</i></p>

रवाना किया जा रहा है। उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा